



UPM0010004742022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी-(संदीप गुप्ता-द्वितीय), जे० ओ० कोड-यू० पी० 2636

सिविल अपील सं०-11/2020

रामस्वरूप आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र रोशन लाल, निवासी मोहल्ला मधुवनी (हरथला रोड)
मुरादाबाद।

..... अपीलार्थी

बनाम

- 1- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा उपाध्यक्ष, एम० डी० ए०, मुरादाबाद।
- 2- रमेश नारायण गौतम आयु करीब 80 वर्ष पुत्र सूरज नारायण गौतम, निवासी मोहल्ला रेती, मुरादाबाद।
- 3- श्रीमती पुष्पा गौतम आयु 60 वर्ष पत्नी स्व० रवीन्द्र नारायण गौतम, निवासी-मोहल्ला रेती, मुरादाबाद।
- 4- विशाल गौतम आयु 62 वर्ष पुत्र श्री राम नारायण गौतम, निवासी मोहल्ला रेती, मुरादाबाद।
- 4/1.-श्रीमती बबीता गौतम आयु 47 वर्ष बेवा स्व० विशाल गौतम।
- 4/2.-कु० गौरिस गौतम आयु 12 वर्ष पुत्री विशाल गौतम (नाबालिग),
- 4/3.-कु० गरिम गौतम आयु 08 वर्ष पुत्री विशाल गौतम (नाबालिग),
वविलायत श्रीमती बबीता गौतम माता हकीक।
निवासीगण-एम० आई० जी० बी 2/7 आशियाना कॉलोनी फैस-2 कांठ रोड,
मुरादाबाद।

प्रत्यर्थीगण।

(1)- यह सिविल अपील, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज (जू० डि०), मुरादाबाद द्वारा दीवानी विविध वाद(पुराना) संख्या-45/2018, अन्तर्गत धारा-47/51 सी० पी० सी० व आर्डर 21 रूल 97 सी० पी० सी०, रामस्वरूप बनाम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष में पारित निर्णय दिनांकित 18.12.2021 के विरुद्ध योजित की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र संख्या-3 ग निरस्त किया गया है।

(2)- संक्षेप में विविध वाद में प्रार्थना पत्र 3 ग धारा-47/151 सी० पी० सी० व आर्डर 21 नियम 97 जा० दी० के तथ्य इस प्रकार है कि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की लोक

प्रयोजन/सुयोजित विकास योजना के अधीन मुरादाबाद की जनता के लिए अन्य भूमि के साथ भूमि गाटा संख्या-16/1 मि० रकबई 2.70 एकड जो काफी वर्ष पूर्व नगर पालिका बगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आ गयी थी और कृषि कार्य नहीं हो रहा था, आबादी योग्य एवं आवादी के पास थी। विधि अनुसार अर्जित की गयी, जिसका विविधवत न्यायालय नॉटिफिकेशन संख्या 4943/37-2-45 एल० ए० 83 होकर सरकारी गजट दिनांक 20-07-1983 को प्रकाशित किया गया, जिसकी सही छाया प्रति संलग्नक संख्या 1 है तथा कब्जा व दखल दिनांक 22-09-1983 को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण विपक्षी संख्या 1 को दे दिया गया, जिसकी सही छायाप्रति प्रार्थनापत्र का संलग्नक 2 है। विपक्षी संख्या 1 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद को कब्जा प्राप्त होते ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा मधुवनी योजना विकसित करना प्रारम्भ कर दिया और सड़कें तथा लाईट हेतु खम्भे आदि लगवाये और समस्त क्षेत्र डेपलप करके निवास हेतु प्लॉट काटे और इस क्षेत्र की मधुवनी मौहल्ले के नाम से विकसित किया तथा प्लॉट निवास हेतु बनाये, जिसके आवंटन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। जिस पर जनता मुरादाबाद ने अपने निवास हेतु मकान निर्मित करने हेतु इन विकसित प्लॉटों को आबंटन कराने हेतु विज्ञापन अनुसार विपक्षी संख्या 1 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवेदन प्लॉट निर्मित करने आबंटन हेतु किया तथा आवेदन प्राप्त हो जाने के उपरांत सभी आवेदकों के आवेदन की लाटरी निकाली गयी, जिसका दिनांक व समय भी समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ और प्रकाशन के दिन ही जितने भी प्लॉट विकसित हुए थे, उनके संबंध में लाटरी निकाली गयी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार विकसित की गयी मधुवनी योजना का भूखंड संख्या 1/प्लॉट संख्या 1 रकबई 125.25 वर्गमीटर जिसके पूरब में नोगजे स्कूल, पश्चिम में भूखण्ड संख्या 2. उत्तर सड़क 9 मीटर चौड़ी तथा दक्खिन में भूखण्ड संख्या 6 की लाटरी श्री बागेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री गंगा प्रसाद की लाटरी निकली और यह प्लॉट/भूखण्ड संख्या 1 बागेश चन्द्र गुप्ता को आबंटित हुआ, जिन्होंने इस भूखण्ड का मूल्य 2,10,420/-रु० विपक्षी संख्या 1, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को अदा किये और इस भूखण्ड का विक्रय पत्र दिनांक 06-08-1997 को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कराकर श्री बागेश चन्द्र गुप्ता आबंटी के नाम उपनिबंधक, मुरादाबाद के कार्यालय में पंजीकृत करा दिया तथा उक्त क्रेता बागेश चन्द्र गुप्ता द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मकान का निर्माण कराने हेतु विधिवत मानचित्र संख्या बी.एफ.सी/ पी० सी० 264/96-97 दिनांक 08-10-1996 को स्वीकृत कराकर भूखण्ड के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल निर्मित करा ली जिसको विपक्षीगण एवं पूरा मधुवनी कालोनी क्षेत्र अपनी खुली आँखों से देखता चला आ रहा है और आज तक किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं किया गया। क्रेता बागेश चन्द्र गुप्ता अपनी बाउण्ड्रीवाल बनवाने तथा मानचित्र स्वीकृत कराने के बाबजूद अपने पारिवारिक कारणों के कारण स्वीकृत नक्शे अनुसार निवास हेतु भवन निर्मित नहीं करा पाये। प्रश्नगत भूखण्ड चाहरदीवारी सहित मुबलिग 6,50,000/-रु० में प्रार्थी ने बागेश चन्द्र गुप्ता से क्रय कर लिया और विक्रय धन अदा करके विक्रयपत्र दिनांक 30-03-2002 को निष्पादित कराकर उपनिबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री करा लिया, जिसकी रजिस्ट्री बही नं०-1 जिल्द संख्या-3734 के पृष्ठ 1 ता 16 पर क्रमांक 960 पर दिनांक 15-04-2002 को हुई है तथा प्रार्थी ने निर्माण कराने हेतु विपक्षी संख्या 1 एम ० डी० ए० से मानचित्र संख्या 3 एफ/सी/वी० सी०/43/2002-03 दिनांक 12-07-2002 को स्वीकृत कराकर दोमंजिला मकान अपने निवास हेतु निर्मित करा लिया तथा दो दुकानें निर्मित करा लीं, जिसमें गणपति प्लाईवुड के नाम से निरन्तर व्यापार करता चला आता है। कभी किसी प्रकार का कोई अवरोध, हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से किसी भी विपक्षी अथवा अन्य व्यक्ति ने नहीं

किया और प्रार्थी परिवार सहित पिछले 16 वर्षों से निवास करता चला आ रहा है और दुकानों में गणपति प्लाईवुड के नाम से व्यापार करता चला आता है। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त दिनांक 19-02-2018 को श्री हरीश अरोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि कोई इजरा की कार्यवाही न्यायालय सिविल जज (जू० डि०) मुरादाबाद में विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी के तथा उनके (हरीश अरोड़ा के) तथा डॉक्टर साहब के मकान ध्वंस कराकर कब्जा दिलाने की बातचीत कर रहे थे। इस तथ्य की जानकारी होने पर प्रार्थी ने अपनी वकील साहब से सम्पर्क किया, जिन्होंने वाद की जानकारी प्राप्त की और समस्त तथ्यों से प्रार्थी को अवगत कराया। मूलवाद संख्या 48/1991 रमेश नारायण गौतम बनाम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आदि में वास्तविक तथ्य छुपाकर विधि विरुद्ध तरीके से प्रश्रुत भूमि के अधिग्रहण किये जाने के तथ्य तथा सरकार द्वारा कॉलोनी विकसित कर प्लॉट आवंटित किये जाने के तथ्य तथा आवंटियों द्वारा भवन निर्मित किये जाने के तथ्य न्यायालय से छिपाये रखा और प्रार्थी को उपरोक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया और न ही इस तथ्य की जानकारी माननीय न्यायालय को दी और उपरोक्त बाद विधि विरुद्ध दिनांक 24-01-2000 को निर्णीत करा लिया। मूलवाद संख्या 48/1991 में वास्तविक तथ्य छिपाने के कारण तथा प्रार्थी व अन्य लोगों को प्लॉट आवंटित हो जाने के तथ्य छिपाये जाने के कारण तथा आवंटियों द्वारा अपने-अपने प्लॉटों पर निवास हेतु दो मंजिली मकान बनाने के तथ्य छिपाने के कारण तथा इन आवंटियों को पक्षकार न बनाने के कारण जो आदेश प्राप्त किये हैं, उसका निष्पादन विविध अनुसार नहीं किया जा सकता। मूलवाद संख्या 48/1991 माननीय न्यायालय में विचाराधीन होते हुए वादी ने जान बूझकर प्लॉटों के विकसित होकर आवंटित होने का तथ्य तथा आवंटियों द्वारा अपने आवंटित हुए प्लॉटों पर दो मंजिला मकान निर्मित किए जाने का तथ्य वादी ने माननीय न्यायालय से जान बूझकर छिपाये रखा और उनको पक्षकार मुकदमे में नहीं बनाया तथा दो मंजिले मकान बनाकर आवंटियों के निवास किये जाने के तथ्य को माननीय न्यायालय से छिपाये रखा और बिना जानकारी में न्यायालय में लाये दिनांक 24-01-2000 को निर्णीत करा लिया जब कि प्रार्थी व अन्य आवंटी वर्ष 1996 से अपने आवंटित प्लॉटों पर काबिज व दखील थे और बाउन्ड्री बाल बनाकर अपने-अपने भवनों को निवास हेतु बनबा रहे थे और उपरोक्त वाद के निर्णय से काफी वर्ष पूर्व से स्वामित्व के रूप में निवास करते चले आ रहे थे। जिस कारण उपरोक्त वाद का निर्णय प्रार्थी व अन्य आवंटियों के विरुद्ध निष्पादन योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी व अन्य आवंटी प्लॉटों के बोनाफाइडी परचेजर (क्रेता) हैं और उपरोक्त वाद के निर्णय होने से पहले भवन निर्मित करा रहे हैं तथा उपरोक्त वाद का कोई ज्ञान उपरोक्त वाद में पक्षकार न होने के कारण प्रार्थी व अन्य लोगों को नहीं था। इस कारण तथा सारे वास्तविक तथ्य छिपाये जाने के कारण उपरोक्त वाद में पारित निर्णय प्रार्थी व अन्य आवंटियों के विरुद्ध निष्पादन योग्य नहीं है न ही उक्त निर्णय प्रार्थी व अन्य आवंटियों पर काबिले पाबन्दी है। मूलवाद संख्या 48/1991 निषेधाज्ञा वाद होते हुए तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन होते हुए वादी द्वारा जानबूझकर आवंटियों /प्रार्थियों को पक्षकार बनाया और न ही इनके विरुद्ध कोई अनुतोष चाहा। इस कारण वाद संख्या-48/1991 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2000 का कोई लाभ वादी निष्पादन कार्यवाही में प्राप्त नहीं हो सकता। वाद संख्या 48/1991 में पारित आदेश का निष्पादन प्रार्थी के विरुद्ध निम्न कारणों से नहीं किया जा सकता। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में पक्षकार नहीं था, प्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया है तथा उपरोक्त वाद को विचाराधीन होते हुए वादी अपने आवंटित प्लॉट पर निर्माण कार्य करा रहा था और वादी ने जानबूझकर उपरोक्त निर्माण की कार्यवाही के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की और न ही माननीय

न्यायालय के संज्ञान में लाया गया और उपरोक्त वाद में संज्ञान होते हुए पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। वाद संख्या 48/1991 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2000 में प्रार्थी व किसी आवंटी से कब्जा दिलाये जाने का कोई आदेश नहीं है। निष्पादन केवल माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का किया जाना है, इसके अतिरिक्त नहीं। डिक्रीदार पिछले 16 वर्षों से अधिक से प्रश्रगत भूखण्ड संख्या 1 पर आवंटी /प्रार्थी का कब्जा निरन्तर देखता चला आ रहा है और दो मंजिले मकान व दुकान को व प्रार्थी के निवास को पिछले 16 वर्षों से देखता चला आ रहा है। डिक्रीदार ने प्रार्थी के स्वामित्व, अधिपत्य व भवन निर्माण में जानकारी होते हुए भी किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया तथा सभी तथ्य माननीय न्यायालय से छिपाये रहा। विधि अनुसार विपक्षी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जिस सम्पत्ति को अर्जित कर राज्य सरकार से कब्जा लिया था। मात्र उसी भूमि पर मधुवनी योजना विकसित की है तथा अर्जन की कार्यवाही प्रश्रगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में हो जाने के कारण मूलवाद संख्या 48/1991 अर्जन का नोटिफिकेशन हो जाने के बाद व्यवहार न्यायालय व राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं रहा। वादी अपनी धोखा देयी का कोई लाभ निष्पादन की कार्यवाही में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी व प्रतिवादी जो आपस में सगे भाई हैं, ने अर्जन की कार्यवाही को प्रभावहीन कराने हेतु षडयन्त्र रचकर उपरोक्त वाद के द्वारा फर्जी व साजिशी कार्यवाही की है। जिसका कोई लाभ वादी निष्पादन के द्वारा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वाद में पारित निर्णय विधि विरुद्ध, अवैध, शून्य, निष्प्रभावी एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा प्रार्थी के विरुद्ध निष्पादित किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निष्पादन की कार्यवाही प्रार्थी के मकान को ध्वंस करने की कार्यवाही तथा अन्य कोई कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाये।

(3)- वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची 8 ग के माध्यम से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र कागज संख्या-9 ग, एम 0 डी 0 ए 0 के साथ हुए अनुबन्ध की छायाप्रति कागज संख्या-11 ग/1 लगायत 11 ग/6, बयनामा की छायाप्रति 12 ग/1 लगायत 12 ग/8, सरकारी गज की अधिसूचना कागज संख्या-13 ग/1 लगायत 13 ग/2, कब्जा प्रमाण पत्र 14 ग/1, मानचित्र 14/2 दाखिल किया गया।

(4)- प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण विविध वाद में हाजिर हुए और प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र 3 ग पर प्रतिवाद पत्र 18 ग मय शपथ पत्र 19 प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र सर्वथा मिथ्या कथन के साथ मौलाफाइड प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी संख्या 3 श्रीमती पुष्पा गौतम विशाल गौतम विपक्षी संख्या 4 का देहान्त हो चुका है। मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो संचलनीय नहीं है। वास्तविकता यह है कि ग्राम मुकबर्पुर मुस्तहकम परगना व जिला मुरादाबाद स्थित सम्पत्ति गाटा संख्या 16/1 रकबई 3.46 डिसमिल के चार कुरे बने जिसमें 16/1/1 रकबई 58 डिसमिल रवीन्द्र नारायण गौतम, 16/1/2 रकबई 58 डिसमिल रमेश नारायण गौतम तथा 16/1/3 रकबई 1 एकड़ 15 डिसमिल श्री जितेन्द्र नारायण गौतम तथा 16/1/4 रकबई 1 एकड़ 15 डिसमिल की बृजनारायण गौतम को मिला। जितेन्द्र नारायण गौतम तथा बृज नारायण गौतम को मिला का क्रमशः 1 एकड़ 15 डिसमिल व 1 एकड़ 15 डिसमिल तथा रमेश नारायण गौतम आपत्तिकर्ता के 58 डिसमिल में से 40 डिसमिल कुल 2 एकड़ 70 डिसमिल सम्पत्ति सन 1984 में एम 0 डी 0 ए 0 मुरादाबाद द्वारा अधिगृहीत कर ली गयी तथा आपत्तिकर्ता की 18 डिसमिल भूमि मौके पर शेष रही। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की 18 डिसमिल भूमि पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिपत्य करने का प्रयास करने पर आपत्तिकर्ता को

सिविल जज (जू० डि०) मुरादाबाद के न्यायालय में प्रतिबन्धात्मक व्यादेश हेतु वाद संख्या 48/1991 रमेश नारायण गौतम बनाम एम ० डी०ए० आदि प्रस्तुत करना पड़ा, जिसमें दिनांक 26-03-1991 को उक्त प्लॉट पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। वादान्तर्गत काल में एम०डी०ए० द्वारा वादग्रस्त भूमि पर सड़के आदि बना लेने पर वाद में संशोधन करा कर मेन्डेटरी इन्जेक्शन का अनुतोष चाहा गया तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विरुद्ध आदेश 39 नियम 2 ए सी० पी० सी० के अन्तर्गत विविध वाद संख्या 25/1996 रमेश नारायण गौतम बनाम मनीषा पवार तत्कालीन उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विरुद्ध योजित करना पड़ा जो विचाराधीन है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सम्पत्ति पर निर्माण करने के कारण आपत्तिकर्ता को आदेश 39 नियम 2 ए सी० पी० सी० के अन्तर्गत विविध वाद संख्या 43 सन 99 रमेश नारायण बनाम विश्राम सिंह यादव आदि प्रस्तुत करना पड़ा जो विचाराधीन है जिसमें आयी अमीन रिपोर्ट दिनांक 20-03-2007 में एम 0 डी०ए० द्वारा किये गये निर्माणों का उल्लेख भी किया गया है। मूलवाद संख्या 48 सन 1991 स्थानान्तरित होकर द्वितीय अपर सिविल जज (जू० डि०) मुरादाबाद के न्यायालय से दिनांक 24-01-2000 को डिक्री हुआ और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को आराजी नं० 16/1/2 रकबई 18 डिसमिल में वादी के कब्जे व दखल में हस्तक्षेप, खनखोदन या निर्माण करने से तथा वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे व दखल में हस्तक्षेप करने से रोका जाना और वादान्तर्गत काल में जो बिजली के खम्भे व पक्की सड़क आदि का निर्माण कर लिया गया उसे 30 दिन में हटाने का आदेश हुआ। उक्त डिक्री तथा निर्णय के विरुद्ध जो सिविल अपील नं० 25/2000 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण नाम रमेश नारायण गौतम आदि न्यायालय जिला जज मुरादाबाद में प्रस्तुत की गयी स्थानान्तरित होकर अपर जिला जज कोर्ट संख्या-13 मुरादाबाद से दिनांक 13-02-2005 को खारिज हुई और निम्न न्यायालय की डिक्री तथा निर्णय दिनांक 24-2 पापा 01-2000 कन्फर्म हुआ। उक्त निर्णय दिनांक 24-01-2000 तथा 13-07-2005 के विरुद्ध द्वितीय अपील संख्या 885/2005 दिनांक 29-04-2013 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा खण्डित कर दी गयी। वादी, डिक्रीदार, आपत्तिकर्ता द्वारा डिक्री के निष्पादन हेतु निष्पादन वाद संख्या 1/2006 रमेश नारायण गौतम बनाम एम ० डी०ए० न्यायालय सिविल जज (जू० डि०) मुरादाबाद में योजित किया है जो विचाराधीन है। एम० डी०ए० द्वारा उक्त निष्पादन वाद में धारा 47 व धारा 151 सी० पी० सी० के अन्तर्गत मि० 4/2014 एम० डी०ए० बनाम रमेश नारायण गौतम योजित किया गया जो पोषणीय न होने के कारण दिनांक 06-08-2016 को खण्डित किया गया और जिसके विरुद्ध प्रस्तुत सिविल रिवीजन संख्या 61/2016 एम 0 डी०ए० बनाम रमेश नारायण गौतम न्यायालय जिला जज मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया जो स्थानान्तरित होकर अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 मुरादाबाद द्वारा दिनांक 08-12-2017 को खण्डित किया गया। प्रार्थी कथित विक्रयपत्र दिनांक 06-08-1997 इकरारी एम ० डी० ए० मुरादाबाद बाहक बागेश चन्द्र गुप्तमा व विक्रयपत्र इकरारी बागेश चन्द्र गुप्ता वाहक रामस्वरूप दिनांक 30-03-2002 अवैध, शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज है जो वादान्तर्गत काल में किये गये हैं और किसी अधिकार के हैं और सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 से बाधित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र हर दृष्टिकोण से खण्डित किये जाने योग्य है।

(5)- प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निर्णय दिनांकित 24-01-2000 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 31 ग, अपील निर्णय दिनांकित 13-07-2005 कागज संख्या 32 ग तथा नकल आदेश कागज संख्या 33 ग दाखिल किया है। प्रतिवादी

संख्या 2 की आपत्ति के विरुद्ध प्रार्थी/वादी द्वारा प्रतिआपत्ति कागज संख्या 34 ग तथा प्रतिआपत्ति 34 ग के विरुद्ध आपत्ति कागज संख्या 37 ग एवं आपत्ति कागज संख्या 37 ग के विरुद्ध प्रति आपत्ति 38 ग दाखिल की गयी है।

(6)- इसके पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन करने के उपरान्त अपना निष्कर्ष देते हुए दिनांक 18.12.2024 को निर्णय/आदेश पारित किया, जिसके माध्यम से अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत विविध वाद को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय/आदेश से क्षुब्ध होकर ही अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत सिविल अपील योजित की गयी है।

(7)- अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की निम्नलिखित विधि-व्यवस्थाएं दाखिल की गयी हैं-

- I. Civil Appeal No. 561 of 2012 January 16, 2012, J. Samuel and others Versus Gatuu Mahesh and others, 2012 (115) RD 533 (SUPREME COURT).
- II. State of Up. Vs. Ashok Kumar & Ors.m 2015(SUPPL.) Civil Court Cases 195 (Allahabad).
- III. Kinder Jeet Kaur & Anr. Vs. Karam Jeet Singh, 2024(3) Civil Court Cases 779 (Allahabad).
- IV. Raj Kumar Bhatia Vs. Subhash Chander Bhatia, 2018(1) Civil Court Cases 504 (S.C.).

(8)- संक्षेप में अपीलार्थी/वादी द्वारा अपील में आधार लिये गये हैं कि, आदेश अवर न्यायालय दिनांकित 18.12.2021 कतई गलत, खिलाफ कानून व वाक्यात है। अवर न्यायालय द्वारा अपीलांत के कथनों व तर्कों पर कोई विचार नहीं किया है, न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जो कि विधि विरुद्ध है। विधिक दृष्टि से मूल वाद में पारित डिक्री के अनुपालन में ही निष्पादन न्यायालय को निष्पादन का अधिकार प्राप्त है। किसी अन्य प्रकार से अथवा स्वयं डिक्री के विपरीत बिना संशोशन के निष्पादन का कोई अधिकार निष्पादन न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा विवाद के तथ्यों पर कतई विचार न करके वैधानिक त्रुटि की है तथा अपीलांत को अपना पक्ष प्रस्तुत करने/साक्ष्य प्रस्तुत न करने का अवसर प्रदान कर विधि विरुद्ध कार्य किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि रेस्पोंडेन्स संख्या-2 ता 4 की भूमि आवास विकास योजन के अंतर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्रगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा विधि अनुसार कब्जा प्राप्त कर अधिग्रहीत की गयी भूमि को डबलप कर प्लॉट विकसित कर आवंटन हेतु प्रकाशित/विज्ञापन किया तथा योजना अनुसार आवंटित किया, जिसको रेस्पोंडेन्ट्स से निरंतर देखते रहे और किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। प्रश्रगत प्लॉट रेस्पोंडेन्ट नंबर-1 एम 0 डी 0 ए 0 द्वारा विधिवत प्रकाशन उपरांत बागेश चन्द्र गुप्ता को आवंटित किया था, जिन्होंने एम 0 डी 0 ए 0 से नक्शा स्वीकृत कराकर बाउंड्री बाल व कुछ निर्माण कर लिया और उस पर काबिज व दखील हो गये। किसी आर्थिक परेशानी से श्री बागेश चंद्र गुप्ता स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा निर्माण नहीं करा पाये और उक्त अर्जन भवन अपीलांत को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दिया तथा अपीलांत द्वारा विधिवत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराकर दो मंजिला मकान निर्मित

कर लिया और निवास करने लगा तथा पिछले 20 वर्षों से निरंतर परिवार सहित निवास करता चला आता है तथा भूतल पर 2 दुकानें निर्मित कर परिवार का पालन पोषण करने हेतु व्यापार करता चला आ रहा है। अवर न्यायालय द्वारा अपीलांत को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और विधि विरुद्ध अपीलांत का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अवर न्यायालय ने अपीलांत को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न प्रदान कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त कारणों से तथा विधिक दृष्टि से अपील स्वीकार किये जाने योग्य तथा अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 18.12.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

(9)– उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत सिविल अपील में प्रत्यर्थागण की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई है, अपितु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से ही कथन किया गया है कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय विधि सम्मत है और अपील को निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

(10)– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली व प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 18.12.2021 का सम्यक् माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन किया गया।

(11)– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह आधार लेते हुए निर्णय पारित किया गया है कि "मूलवाद संख्या-48/1991 में वादी में निर्णय पारित किया गया था। वह एम 0 डी0 ए0 के विरुद्ध पारित किया गया था एवं उक्त मूल वाद के प्रतिवादीगण को वादी की विवाद भूमि आराजी नं0-16/1/2 रकवा 0.18 डि0 में वादी के कब्जे व दखल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या निर्माण करने से निषेधित किया गया। चूंकि उपरोक्त विषयगत सम्पत्ति का बैनामा ए0 डी0 ए0 द्वारा बागेश चन्द्र गुप्ता के पक्ष में किया गया और बागेश चन्द्र गुप्ता द्वारा उक्त सम्पत्ति का बैनामा प्रस्तुत प्रकरण के प्रार्थी रामस्वरूप के पक्ष में किया गया, उस निर्णय दिनांकित 24.01.2000 से रामस्वरूप भी बाध्य रहेगा। प्रार्थी रामस्वरूप को मूलवाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। चूंकि न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किये गये थे, अतः दौरान मुकदमा एम 0 डी0 ए0 उक्त विषयगत सम्पत्ति का बयानामा बागेश चन्द्र गुप्ता के पक्ष में करने हेतु अधिकृत नहीं था।" उपरोक्त से स्पष्ट है कि मूल वाद में पारित आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या निर्माण करने से निषेधित किया गया तथा निर्णय दिनांकित 24.01.2000 अपीलार्थी पर भी प्रभारी रहेगा। इसके पश्चात् एम 0 डी0 ए0 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का बयानामा बागेश चन्द्र गुप्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा बागेश चन्द्र गुप्ता द्वारा उक्त सम्पत्ति का बयानामा रामस्वरूप के पक्ष में निष्पादित किया गया, जबकि जबकि वाद लंबित होने के कारण विषयगत सम्पत्ति का बयानामा बागेश चन्द्र गुप्ता के पक्ष में करने हेतु एम 0 डी0 ए0 अधिकृत नहीं था। विद्वान अवर न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी मूल वाद संख्या-48/1991 में भी पक्षकार नहीं था। बागेश चन्द्र गुप्ता द्वारा बयानामा अपीलार्थी के पक्ष में कराने का तथ्य अपीलार्थी ने स्वयं अपनी अपील में स्वीकार किया है।

(12)– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि "मूलवाद के विचाराधीन होते हुए भी एम 0 डी0 ए0 द्वारा दिनांक 06.08.1997 को बागेश चन्द्र गुप्ता को बैनामा कर दिया। बागेश चन्द्र गुप्ता द्वारा दिनांक 30.03.2002 को दौरान अपील संख्या-

25/2000 प्रस्तुत प्रकरण के प्रार्थी रामस्वरूप को बेच दिया। चूंकि न्यायालय द्वारा पूर्व में ही यथास्थिति का आदेश पारित किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में निर्णय होने तक एम0डी0ए0 द्वारा बागेश चन्द्र गुप्ता को दिनांक 06.08.1997 को जो बैनामा निष्पादित किया गया था, वह सम्पत्ति के अन्तरण अधिनियम की धारा-52 से बाधित है।" उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा विषयगत सम्पत्ति का यथास्थिति का आदेश पारित किया गया तथा निर्णय होने तक एम0डी0ए0 द्वारा बागेश चन्द्र गुप्ता को दिनांक 06.08.1997 को जो बयनामा निष्पादित किया गया, वह सम्पत्ति के अन्तरण अधिनियम की धारा-52 से बाधित है।

(13)- अपीलार्थी का यह कथन कि उसके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उसको साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विविध वाद की पत्रावली में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2019 को प्रस्तुत किया गया है जो 500/-रूपये के हर्जे पर स्वीकृत हुआ तथा दिनांक 15.03.2021 को अपीलार्थी द्वारा पुनः साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आदेश हुआ कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रपत्र दाखिल करे। जिससे अपीलार्थी का उपरोक्त कथन बलहीन प्रतीत होता है। चूंकि न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्त दोनों तिथियों पर साक्ष्य/प्रपत्र हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

(14)- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज, जू0 डि0, मुरादाबाद के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.12.2021 के अवलोकन से अपीलीय न्यायालय की राय में प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.12.2021 विधिसम्मत है और न्यायालय सिविल जज, जू0 डि0, मुरादाबाद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का विधिसम्मत प्रयोग करते हुए ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तद्विस्तार प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील संख्या-11/2022 निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज, जू0 डि0, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.12.2021 पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों।

दिनांक: 30.03.2026

(संदीप गुप्ता द्वितीय)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3,
मुरादाबाद।

यह निर्णय, आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 30.03.2026

(संदीप गुप्ता द्वितीय)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3,
मुरादाबाद।